राजस्व लोक अदालत केम्प खट्टू तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

2018/01124

मुकदमा न0 35 /2018

अपीलांण्टगण वनाम रेस्पोंडेन्ट

1 वाबूलाल पुत्र मूलाराम
सा0 देह खट्टू

1. ग्राम पंचायत खट्टू
2. भूमिधारक जरिये तहसीलदार
पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः–30.05.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत खट्टू में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खट्टू में खेत खसरा न0 229, 261 जमा... सवंत 2072–2075 में राणा पुत्र मूला सहखातेदारी भूमि में आया हुआ है। अपीलाण्ट के पिता मूला... फौतगी नामान्तरकरण सख्या 204 भरते समय राणाराम पुत्र मूलाराम दर्ज कर दिया है जो अशुद्व नाम है... जवकि अपीलाण्ट का सही एव वास्तविक नाम दस्तावेजों के अनुसार वाबूलाल पुत्र मूलाराम है... अपील पत्र के संवंध मे पटवारी खट्टू/आरआई दूदवा/ तहसीलदार पचपदरा की संयुक्त रिपोर्ट प्रा... की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का नाम वाबूलाल पुत्र मूलाराम सही नाम दर्ज क... सिफारिश की है।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी खट्टू /आरआई दूदवा/ तहसील... पचपदरा व व्यानकर्ता वाबूलाल व सरंपच ग्राम पचांयत खट्टू की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जि... अनुसार पसतुत दस्तावेज, आधार कार्ड,, पहचान पत्र की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेक... नाम राणाराम है जवकि सही नाम वाबूलाल पुत्र मूलाराम है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्ट ... को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। इसके आधार पर अपील अपा... स्वीकार कर राणाराम पुत्र मूलाराम के स्थान वाबूलाल पुत्र मूलाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प........................

Scanned by CamScanner